राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

प.8 (1)राज/वाद/14 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक: 28-11-2022

राजकीय अधिवक्ता/अति. राजकीय अधिवक्ता/
उप राजकीय अधिवक्ता/सहायक राजकीय अधिवक्ता,
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर, पीठ–जयपुर

समस्त लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/
अपर लोक अभियोजक, राजस्थान

आज्ञा

इस विभाग की कमांक आज्ञा प.8 (3)राज/वाद/15 दिनांक 22.03.16 एवं समसंख्यक आज्ञा दिनांक 17.05.16 को अधिकमित करते हुए सभी राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/उप राजकीय अधिवक्ता/सहायक राजकीय अधिवक्ता/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/ विशिष्ठ लोक अभियोजक की सेवा समाप्ति के आधारों एवं दोषसिद्धी दर के मूल्यांकन के मानको के संबंध में निम्नानुसार नवीन निर्देश जारी किये जाते हैं:–

सेवा समाप्ति के आधार :–

1. गम्भीर दुराचरण का आरोप साबित होने पर तत्काल प्रभाव से तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 से संबंधित किसी अपराध में गिरफ्तार होने एवं प्राथमिकी दर्ज होने पर, गिरफ्तारी की दिनांक से।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण की प्रभावी पैरवी नहीं करने के कारण लोक अभियोजक के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित करने पर।
3. माननीय न्यायालय में राज्य पक्ष की ओर से अभियोजक द्वारा पैरवी के दौरान निम्नलिखित मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं कराने पर, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया गया हो –
   a. विचारण न्यायालय में राज्य पक्ष के समर्थन में वांछित दस्तावेजात जैसे– अभियोजन स्वीकृति, विधि विज्ञान प्रयोग शाला (एफ.एस.एल.) एवं डी0एन0ए0 रिपोर्ट, आरमोरर (armorer) की रिपोर्ट, व्हीकल की मेकेनिकल रिपोर्ट, मेडिको लीगल रिपोर्ट (एम0एल0सी0), एक्स–रे रिपोर्ट आदि, इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य की पुष्टि हेतु धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित

28/11/22

प्रकरणों में मजिस्ट्रेट द्वारा की गई धारा 52ए की कार्यवाही की रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं कराने पर।

b. अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ होने से पूर्व प्रकरण का माल वजह सबूत विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कराने पर।

c. विचारण न्यायालय द्वारा बिना उचित कारण दर्शाये महत्वपूर्ण साक्षीगण की तलबी बन्द कर देने पर संबंधित गवाहान को री–काल कराने हेतु धारा 311 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर देने की स्थिति में उच्चतर न्यायालय में आदेश को चुनौती देने हेतु समयावधि में राय प्रस्तुत नहीं करने पर।

4. माननीय उच्च न्यायालय/विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त / उन्मोचित कर दिये जाने पर निर्णय/ आदेश के विरूद्ध निर्धारित समयावधि की समाप्ति से 45 दिन पूर्व निर्णय/ आदेश की प्रमाणित प्रति सकारण राय, प्रकरण में पारित पूर्व निर्णय की विस्तृत जानकारी यदि कोई हो, सहित सम्पूर्ण अभियोजन पत्रावली मय साक्षीगण के बयान, प्रदर्शित कराये गये दस्तावेज व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जिला मजिस्ट्रेट/विधि विभाग को उपलब्ध नहीं कराने पर।

5. विधि विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अन्य आदेशों/परिपत्रों में दिये गये दिशा–निर्देशों की अवहेलना करने पर।

6. विधि विभाग द्वारा नियुक्त एवं अधिनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ता संवर्ग के लोक अभियोजक/ विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक की 01 वर्ष के दौरान दोषसिद्धी दर, गुणावगुण के आधार पर निर्णित हुये प्रकरणों के 25 प्रतिशत से कम होने पर।

स्पष्टीकरणः– कार्यकुशलता रिपोर्ट की अवधि 01 वर्ष की होगी। इस 01 वर्ष की अवधि में गुणावगुण के आधार पर निर्णित हुये प्रकरणों का मूल्यांकन किया जावेगा जोकि 25 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। उक्त 25 प्रतिशत की गणना हेतु गुणावगुण के आधार पर निर्णित कम से कम 6 प्रकरण होने पर ही विचार किया जावेगा परन्तु 6 से कम प्रकरण होने पर और राज्य सरकार के पक्ष में ऐसे प्रकरणों का सफलता का अनुपात 25 प्रतिशत से कम रहने पर लोक अभियोजक का कार्यकाल चेतावनी के साथ बढाने की अनुशंषा की जावेगी।

<u>दोषसिद्धी दर के मूल्यांकन हेतु मानकः–</u>

दोषसिद्धी दर का 25 प्रतिशत निर्धारित किये जाने के लिए निर्णित हुए प्रकरणों का मूल्यांकन करने में निम्न स्थितिओं पर विचार नही किया जावेगा।

i- ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्तगण पर भा0दं0सं0 धारा 363, 366, 376, अव्यस्क बालक/बालिकाओं के विरूद्ध यौन अपराधों से संबंधित पोक्सो

28/11/12

अधिनियम के अन्तर्गत विचारण होता है तथा उनमें स्वंय अभियोक्त्री/पीडिता/आहता के पक्षद्रोही होने के आधार पर अभियुक्त/अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है।

ii- ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्तगण के विरूद्ध अ.जा./अ.ज.जा.(अ0नि0) अधिनियम के अन्तर्गत विचारण किया गया है और ऐसे प्रकरणों में स्वंय परिवादी/आहत/पीडित पक्षद्रोही घोषित हुये हैं।

iii- ऐसे अन्य सेशन प्रकरण जिनमें परिवादी/आहत/पीडित पक्षद्रोही घोषित हुये हैं।

iv- ऐसे प्रकरण जिनमे अभियुक्त/अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया गया है अथवा प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया है अथवा प्रकरण में अभियुक्त की मृत्यु होने या अभियुक्त के मफरूर होने के कारण कार्यवाही निरस्त/स्थगित की गई है।

v- ऐसे प्रकरण जिनमें महत्वपूर्ण साक्षी (परिवादी/आहत/ अभियोक्त्री/ पीडित) की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई हो अथवा गवाह को शारीरिक व मानसिक अयोग्यता के कारण परीक्षित नहीं किया गया हो अथवा प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी पक्षद्रोही घोषित हो गये हो अथवा संबंधित लोक अभियोजक द्वारा पर्याप्त प्रयासों के उपरान्त भी अभियोजन साक्षी साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये हों।

परन्तुकः— यह कि, बिन्दु संख्या (i) (ii) (iii) व (v) में वर्णित पक्षद्रोही परिवादी/आहत/अभियोक्त्री/पीडित/साक्षी के सम्बन्ध में लोक अभियोजक को लाभ उस स्थिति में ही देय होगा जब ऐसे पक्षद्रोही घोषित किये गये अभियोजन साक्षिओं से लोक अभियोजक द्वारा जिरह की गई है ।

यह और कि बिन्दु संख्या 5 में वर्णित पर्याप्त प्रयासों के उपरान्त यदि अभियोजन साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है तो लोक अभियोजक को इस स्थिति का लाभ तभी देय होगा जब लोक अभियोजक द्वारा ऐसे साक्षी के विरूद्व धारा 87 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही न्यायालय के समक्ष प्रस्तावित की गई हो।

vi- माननीय विचारण न्यायालय द्वारा जिन प्रकरणों में अभियुक्तगण को उन्मोचित किया गया है, उन प्रकरणों को लोक अभियोजक के विरूद्ध गुणावगुण के आधार पर निर्णित प्रकरणों की गणना में उसी स्थिति में सम्मिलित नहीं किया जावेगा जब मामला प्रथम दृष्टया बनता है एवं अभियोजन पक्ष द्वारा बहस के दौरान राज्य की ओर से उचित पक्ष एवं उचित विधि, माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जाने के उपरान्त भी माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उन्मोचित किया गया है तथा उक्त उन्मोचन के आदेश के विरूद्ध, निगरानी याचिका दायर करने हेतु प्रस्ताव, सकारण राय के साथ निर्धारित समयावधि की समाप्ति से पूर्व भिजवा दिये गये हों।

28/11/22

vii- ऐसे प्रकरण जो गुणावगुण के आधार पर राज्य के विरूद्ध इस आधार पर निर्णित हुये है कि परिवादी/आहत/पीडित/पीडिता ने मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों को जिरह में यू–टर्न लेते हुये पूर्ण रूप से नकार दिया है, इस स्थिति का लाभ लोक अभियोजक को तभी देय होगा जब ऐसे गवाहान से अभियोजक द्वारा पुनः परीक्षा की मांग की गई है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पुनः परीक्षा का अवसर नहीं दिया गया है और ऐसे आदेश के विरूद्ध उच्चतर न्यायालय में निगरानी याचिका दायर करने हेतु सकारण राय लोक अभियोजक द्वारा इस विभाग को भिजवा दी गई है।

viii- ऐसे प्रकरण जो अनन्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, एवं महत्वपूर्ण गवाहान यथा लास्ट सीन गवाहान/ शिनाख्ती कार्यवाही के गवाहान/ बरामदगी गवाहान के पक्षद्रोही घोषित होने के फलस्वरूप मुल्जिम के बरी हो जाने पर लोक अभियोजक को इस स्थिति का लाभ तभी देय होगा जब ऐसे गवाहों से पर्याप्त जिरह की गई हो।

आज्ञा से,

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशेषाधिकारी (जीएसवाई) माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके आईडी क्रमांक 22004487 दिनांक 25.11.22 द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जोधपुर/जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, विधि।
6. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
7. समस्त वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/ संयुक्त विधि परामर्शी/ उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, विधि विभाग
8. सहायक लेखाधिकारी, वादकरण।
9. प्रोगामर, विधि को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि